विधान परिषद् के प्रथम सत्र 2022 के प्रथम गुरूवार के लिए निर्धारित श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, माननीय सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूँछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-15 का उत्तरालेख अनुपूरक सामग्री सहित

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी 11-02-2022	तारांकित प्रश्न	उत्तरालेख
प्रश्न संख्या-15	(क) क्या आयुष मंत्री बतायेगें कि प्रदेश के निजी क्षेत्रों में स्थापित आयुर्वेदिक कालेजों में चिकित्सकों फार्मेसिस्टों नर्सों के प्रशिक्षण हेतु कितनी संस्थायें संचालित है ?	वर्तमान समय में प्रदेश के निजी क्षेत्रों में स्थापित आयुर्वेदिक कालेजों में चिकित्सकों के प्रशिक्षण हेतु 64 एवं फार्मेसिस्टों, नर्सों के प्रशिक्षण हेतु 11 संस्थायें संचालित है।
	(ख) उक्त तीनों प्रशिक्षण के संचालन के क्या-क्या मानक निर्धारित किये गये है ?	केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली (भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, नई दिल्ली), फार्मेसिस्ट पाठ्यक्रम प्रशिक्षण सम्बन्धी नियमावली तथा सामान्य परिचर्या प्रशिक्षण परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं नियमावली के अन्तर्गत चिकित्सकों, फार्मेसिस्ट एवं नर्स के प्रशिक्षण के मानक निर्धारित है।
	(ग) क्या उसमें प्रशिक्षण देने वाले निर्धारित योग्यता पूरी करते है ?	(ग) जी हॉ।
	(घ) यदि हॉ, तो उक्त का पूरा विवरण सदन की मेज पर रखेगें ?	(घ) जी हॉ (अपेक्षित विवरण संलग्न है)।

डा0 दयाशंकर मिश्र "दयालु"
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

अनुपूरक सामग्री

प्रदेश के निजी क्षेत्रों में स्थापित आयुर्वेदिक कालेजों में चिकित्सकों के प्रशिक्षण हेतु 64 संस्थायें संचालित है। (सूची संलग्न) आयुर्वेदाचार्य (बी0ए0एम0एस0) पाठ्यक्रम जिसके द्वारा चिकित्सकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है के मानक केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली तथा वर्तमान में भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित है। (प्रति संलग्न) निजी क्षेत्र के संचालित आयुर्वेदिक कालेजों में प्रशिक्षण हेतु तैनात किये जाने वाले प्रशिक्षकगणों की योग्यता का मानक भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित है। प्रति वर्ष मानक पूर्ण किये जाने वाली संस्थाओं को ही आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है।

(क) यू0पी0 इण्डियन मेडिसिन एक्ट, 1939 की धारा 36 के अधीन आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड उ0प्र0 द्वारा आयुर्वेदिक/यूनानी फार्मासिस्टों, नर्सों का प्रशिक्षण पाठ्क्रम संचालित किया जाता है। वर्तमान समय में निजी क्षेत्र के निम्नलिखित आयुर्वेदिक कालेजों में उक्त पाठ्क्रम संचालित किया जा रहा है :-

1. श्रीमती कुसुमलता शर्मा, अनु चिकित्सकीय प्रशिक्षण संस्थान (वैद्य यज्ञ दत्त शर्मा आयु0 महा0) जी0टी0 रोड, थरपा, खुरजा, बुलन्दशहर (नर्स)
2. मेजर एस0डी0 सिंह, आयुर्वेदिक नर्सिंग एण्ड फार्मेसी कालेज, वेवर रोड, फतेहगढ, फर्रूखाबाद (फार्मासिस्ट/नर्स)
3. श्री बाबूसिंह जय सिंह, आयुर्वेदिक पैरा मेडिकल एण्ड नर्सिंग कालेज, भाऊपुर, वेवर रोड, फतेहगढ फर्रूखाबाद (फार्मासिस्ट/नर्स)
4. श्री बाबूसिंह दद्दू सिंह जी, आयुर्वेदिक नर्सिंग एण्ड फार्मेसी कालेज, कृष्णानगर, कानपुर रोड, फतेहगढ, भोजपुर, फर्रूखाबाद (फार्मासिस्ट/नर्स)
5. चन्द्रशेखर सिंह स्कूल आफ नर्सिंग एव फार्मेसी (आयुर्वेद) ग्राम-कोइलहा पो0- सैयद सराया, नजदीक पुरामुफ्ती, जिला-कौशाम्बी (फार्मासिस्ट/नर्स)
6. बापू आयुर्वेद नर्सिंग एवं फार्मेसी कालेज, लाडनपुर, कोपागंज, जिला-मऊ
7. आर0 के0 आयुर्वेदिक नर्सिंग एवं फार्मेसी इन्स्टीट्यूट, काशीपुर सुराई, सठियॉव, आजमगढ (फार्मासिस्ट/नर्स)
8. शिवालिक आयुर्वेदिक फार्मेसी कालेज, ग्राम-बिजरवॉ, पो0-बनकट, आजमगढ
9. जीवक हास्पिटल एण्ड नर्सिंग कालेज, ग्राम-कमलापुर, एकौनी, चन्दौली
10. एन्क्राइट पैरा मेडिकल इन्स्टीट्यूट (एन्क्राइट आयु0 मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल) सौसीर खेडा, परवरपुर, मोहनलालगंज, लखनऊ (फार्मासिस्ट/नर्स)
11. सरदार पटेल इंस्टीट्यूट आफ आयुर्वेदिक मेडिकल साईसेज एण्ड रिसर्च सेण्टर, कनकहा, मोहनलाल गंज, लखनऊ (फार्मासिस्ट/नर्स)

(ख) फार्मासिस्ट पाठ्यक्रम प्रशिक्षण सम्बन्धी नियमावली एवं सामान्य परिचर्या प्रशिक्षण परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं नियमावली की प्रति एवं नियमावली के अन्तर्गत फार्मासिस्ट एवं नर्स के प्रशिक्षण संस्थान के संचालन के मानक की प्रतियॉ संलग्न है। संलग्नक-'क' एवं 'ख'

(ग) उपरोक्त 11 आयुर्वेदिक कालेजों में प्रशिक्षण देने वाले शिक्षक निर्धारित योग्यता पूर्ण करते है जिनकी सूची संलग्न है। संलग्नक-'ग' (1 से 11)